-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा विद्युत विभाग की जांच टीम के साथ अभद्रता व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा विद्युत विभाग की जांच टीम के साथ अभद्रता व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि दिनांक 15.07.2026 को विद्युत विभाग की टीम आईजीआरएस शिकायत के निस्तारण के हेतु ग्राम बरेंहड़ा में जांच के लिए पहुंची थी। जांच के दौरान अभियुक्तों द्वारा टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता करते हुए सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया। घटना की सूचना पर थाना अतर्रा पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.07.2026 को ग्राम बरेंहड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासी ग्राम बरेंहड़ा थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. विवेक पुत्र राजेश निवासी ग्राम बरेंहड़ा थाना अतर्रा जनपद बांदा।
3. मनीष पुत्र राजेश निवासी ग्राम बरेंहड़ा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 262/26 धारा 3(5)/132/127(2)/121(1)/119(2)/115(2)/352 बीएनएस 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दयाशंकर श्रीवास्तव
2. कां0 रबिन्द्र श्रीवास
3. कां0 राजेश कुमार
4. म0कां संजना जयसवाल